



इलाहाबाद उच्च न्यायालय,

रिट - ए संख्या - 1047 सन् 2026

कामेश चंद्र पाल

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : देवांश मिश्रा, रमेश कुमार पांडेय

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : अर्जुन प्रसाद यादव, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री देवांश मिश्रा तथा प्रतिवादी संख्या 1, 3 एवं 4 की ओर से विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल तथा प्रतिवादी संख्या 2 एवं 5 की ओर से श्री अर्जुन प्रसाद यादव को सुना गया।
2. प्रतिवादियों के अधिवक्ताओं ने यह कहा कि उनके पास आवश्यक निर्देश उपलब्ध हैं और वे मामले की बहस करने की स्थिति में हैं। उन्होंने कोई प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं किया तथा यह निवेदन किया कि रिट याचिका का निस्तारण अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए।
3. पक्षकारों की सहमति से रिट याचिका का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही किया जा रहा है।
4. याचिकाकर्ता का कथन है कि उसे 29.03.2008 को राज्य मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बिजनौर के कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में संविदा आधार पर एक वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। यह नियुक्ति समय-समय पर नवीनीकृत होती रही। प्रारंभ में उसका मानदेय ₹8000/- प्रतिमाह था, जिसे बाद में बढ़ाकर ₹14,641/- कर दिया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, संविदा कर्मियों की नियुक्ति एवं निरंतरता विभागीय पत्र दिनांक 03.09.2013 द्वारा नियंत्रित होती है। अप्रैल 2025 से मानदेय न मिलने पर उसने 09.10.2025 एवं 31.10.2025 को प्रत्यावेदन दिया। जब कोई निर्णय नहीं हुआ, तब उसने रिट-ए संख्या 18440 सन् 2025 दायर की, जिसमें दिनांक 15.12.2025 को आदेश पारित हुआ (जिसमें याचिका वापस लेकर नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी गई)।

“1. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री संजय कुमार शर्मा की ओर से ब्रीफ धारण करते हुए श्री अरुण कुमार (ए/ए 0722/2022), तथा प्रतिवादी संख्या 2 एवं 4 की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुन प्रसाद यादव और राज्य की ओर से उपस्थित स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।

2. वर्तमान याचिका इस प्रार्थना के साथ दायर की गई है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद बिजनौर को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता का अप्रैल 2025 से अब तक का मानदेय जारी करें तथा दिनांक 31.10.2025 के प्रत्यावेदन का निर्णय करें।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. आज श्री अर्जुन प्रसाद यादव ने न्यायालय के समक्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित निर्देश प्रस्तुत किए, जिनके अनुसार याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन का निर्णय दिनांक 04.11.2025 को कर दिया गया है।

4. उक्त निर्देशों की एक प्रति याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को उपलब्ध कराई जाए।

5. तदनुसार, यह रिट याचिका वापस ली गई मानकर निरस्त की जाती है, इस स्वतंत्रता के साथ कि याचिकाकर्ता उक्त आदेश को चुनौती देते हुए नई याचिका दायर कर सकता है।

6. आज प्रस्तुत निर्देशों को अभिलेख पर लिया जाता है और उन्हें परिशिष्ट 'ए' के रूप में चिह्नित किया जाता है।”

5. चूँकि याचिकाकर्ता की कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में संविदात्मक नियुक्ति का नवीनीकरण नहीं किया गया और दिनांक 04.11.2025 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बिजनौर (प्रतिवादी संख्या 5) द्वारा पारित आदेश के माध्यम से उसे कार्य से हटा दिया गया, इसलिए याचिकाकर्ता ने उक्त आदेश दिनांक 04.11.2025 को निरस्त कराने हेतु वर्तमान रिट याचिका दाखिल की है।

6. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि दिनांक 04.11.2025 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बिजनौर (प्रतिवादी संख्या 5) द्वारा पारित आदेश किसी भी स्थिति में टिकाऊ नहीं है। उन्होंने अपने तर्क को विस्तार से रखते हुए कहा कि यह आदेश वस्तुतः दंडात्मक प्रकृति का है, क्योंकि याचिकाकर्ता की संविदा नियुक्ति को आगे न बढ़ाने का निर्णय उसके कार्य एवं आचरण के विरुद्ध की गई शिकायतों पर आधारित है। उनका कहना है कि यदि प्रतिवादियों द्वारा कोई प्रतिकूल सामग्री आधार के रूप में ली गई थी, तो न्यायसंगतता की मांग थी कि याचिकाकर्ता को उस प्रतिकूल सामग्री से अवगत कराया जाता तथा उसे कारण बताओ नोटिस देकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता और उसके बाद ही कोई आदेश पारित किया जाता। यह भी कहा गया कि ऐसा कोई अवसर नहीं दिया गया और एक ही झटके में याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया गया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अभिलेखों में यह भी स्पष्ट नहीं है कि प्रतिवादियों ने मानदेय का भुगतान न करने का निर्णय किन आधारों पर लिया, जबकि याचिकाकर्ता दिसंबर 2025 तक कार्य कर रहा था।

7. इसके विपरीत, अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 2 एवं 5 की ओर से उपस्थित श्री यादव ने कहा कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति संविदात्मक थी और विशेष परिस्थितियों में नियोक्ता के लिए यह सदैव खुला है कि वह नियुक्ति का नवीनीकरण न करने का निर्णय ले सकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि नवीनीकरण न करने का मुख्य कारण याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें थीं।

8. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।

9. तथ्यों को लेकर कोई विवाद नहीं है। यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता को 29.03.2008 को कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में संविदा आधार पर नियुक्त किया गया था और उसकी नियुक्ति समय-समय पर नवीनीकृत होती रही, किन्तु अप्रैल 2025 से उसका नवीनीकरण नहीं किया गया। प्रतिवादियों द्वारा जारी अंतर-विभागीय पत्र दिनांक 03.09.2023 इस प्रकार है—

“मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत संविदा के आधार पर जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा मण्डल स्तर पर मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), कार्यालय

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



में समन्वयक व कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिये करने के उपरान्त अगले वर्ष इन पदों पर नवीनीकरण अथवा नवीन चयन की आवश्यकता होती है।

समय से नवीनीकरण अथवा नवीन चयन की कार्यवाही न हो पाने पर जहाँ एक तरफ शासकीय कार्य अवरुद्ध होता है, वहीं दूसरी तरफ प्रश्नगत कर्मी अनिश्चितता की स्थिति में रहते हैं, जिसके कारण कई बार रिट याचिकायें भी कर्मियों द्वारा दायर कर दी जाती हैं। निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, उ०प्र० के स्तर से रिट याचिकाओं में पारित आदेशों का निस्तारण करना अपेक्षित हो जाता है, जिनमें कई प्रकरणों में विषम परिस्थितियों उत्पन्न हो जाती हैं। अतः समुचित विचारोपरान्त प्राधिकरण के पत्रोंक म०भो० प्रा०/सी-3026/2012-13 दिनांक 27.09.2012 को अतिक्रमित करते हुये निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

1. जिन कर्मियों की सेवायें उपयुक्त न पायीं जायें उनके सम्बन्ध में पत्रावली में साक्ष्य सहित स्पष्ट आंकलन होना चाहिये कि किन परिस्थितियों में उनकी सेवायें उपयुक्त नहीं पायीं गयीं हैं। वस्तुतः यदि किसी कर्मी की सेवा का नवीनीकरण नहीं किया जाता है तो सेवा समाप्त करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बन्धित कर्मचारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है।

2. गम्भीर परिस्थितियों / वित्तीय अनियमितता / गम्भीर अनुशासनहीनता की स्थिति में बिना कोई नोटिस के यदि सेवा समाप्त करने की आवश्यकता प्रतीत होती है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र० द्वारा पुष्टि प्रमाणों सहित स्वतः स्पष्ट प्रस्ताव सम्बन्धित जिलाधिकारी / मण्डलायुक्त को प्रस्तुत किया जायगा।"

10. दिनांक 03.09.2023 के अंतर-विभागीय पत्र के खंड-1 एवं 2 पर एक साधारण दृष्टि डालने से यह स्पष्ट होता है कि यदि कोई प्रतिकूल सामग्री उपलब्ध हो और नवीनीकरण न करने का निर्णय लिया जाना हो, तो संविदात्मक कर्मचारी को अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, केवल असाधारण परिस्थितियों में जब नियुक्ति का नवीनीकरण न करना और सेवाओं को समाप्त करना अत्यंत आवश्यक हो, तब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/मंडलीय सहायक/सक्षम प्राधिकारी, उपलब्ध तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर सेवाओं को समाप्त कर सकते हैं।

11. वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दिए गए दिनांक 04.11.2025 के आदेश को नीचे उद्धृत किया जा रहा है—

"उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 09.10.2025 व 31.10.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें आपके द्वारा मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया है कि माह अप्रैल से अद्यतन माह बीत जाने के उपरान्त भी आपका मानदेय भुगतान नहीं किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि शैक्षिक सत्र 2024-25 में विभिन्न स्तरों से लगातार प्राप्त आपकी शिकायतों के आधार पर आपकी संविदा सेवा का नवीनीकरण न होने के कारण वर्तमान में आप इस कार्यालय (एम०डी०एम० सैल, बिजनौर) में कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत नहीं हैं। जिस कारण आपको कोई मानदेय भुगतान नहीं किया जा सकता।"

12. निस्संदेह, प्रतिवादियों के लिए यह सदैव खुला है कि वे संविदात्मक नियुक्ति का नवीनीकरण न करें और संविदा कर्मचारी के विरुद्ध दर्ज शिकायतों के आधार पर उसकी सेवाओं को समाप्त कर दें। किन्तु वर्तमान मामले में एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि विवादित आदेश में शिकायतों की प्रकृति एवं सामग्री का कोई उल्लेख नहीं है। केवल इतना कहा गया है कि शिकायतों के आधार पर नवीनीकरण नहीं किया गया। शिकायतों की प्रकृति, उनकी गंभीरता एवं प्रभाव के संबंध में कोई विवरण न होने की स्थिति में, यह न्यायालय उस आदेश में वह बातें नहीं पढ़ सकता जो उसमें उल्लिखित ही नहीं हैं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



13. न्यायालय के मतानुसार, कम से कम याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी कर उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि यह आदेश प्रतिकूल प्रकृति का है।
14. इस चरण पर, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित श्री यादव ने यह प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, जिस पर वह अपना उत्तर प्रस्तुत कर सकेगा और उसके पश्चात उचित आदेश पारित किया जाएगा।
15. उपर्युक्त परिस्थितियों को देखते हुए, विवाद के गुण-दोष में जाए बिना, रिट याचिका का निस्तारण निम्नलिखित निर्देशों के साथ किया जाता है—

(क) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बिजनौर द्वारा पारित दिनांक 04.11.2025 का आदेश निरस्त किया जाता है।

(ख) सक्षम प्राधिकारी 13.02.2026 तक याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा।

(ग) याचिकाकर्ता नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करेगा तथा उसके पश्चात सुनवाई कर दो माह की अतिरिक्त अवधि के भीतर अंतिम आदेश पारित किया जाएगा।

(घ) दिनांक 04.11.2025 के आदेश के बाद की वर्तमान स्थिति यथावत बनी रहेगी तथा याचिकाकर्ता का नवीनीकरण/नियोजन एवं मानदेय का भुगतान सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आगामी आदेशों पर निर्भर करेगा।

16. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

जनवरी 29, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"